

व्यापारी/पक्का आढ़तिया अनुज्ञप्ति; शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति; केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति; किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति; केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति; प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति; शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) प्रस्तुत करना होगा:-

आवश्यक अभिलेख :-

- i. **व्यक्तिगत अथवा प्रोपराईटरशिप फर्म होने पर :-**
 - आवेदक अर्थात् प्रोपराईटरशिप फर्म के स्वामी का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप).
 - आवेदक का आधार क्रमांक. (जो भी लागू हो)
 - आवेदक का समग्र आईडी. (जो भी लागू हो)
 - आवेदक का आयकर PAN.
 - पासपोर्ट फोटोग्राफ्स
 - प्रोपराईटरशिप फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक.
 - प्रोपराईटरशिप फर्म का आयकर PAN.
 - प्रोपराईटरशिप फर्म का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).
 - प्रोपराईटरशिप फर्म का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN).
 - आवेदक तथा प्रोपराईटरशिप फर्म के बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य).
 - उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन.
 - कृषि उपज भंडारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध.
 - गोदाम का नक्शा.

- मंडी कार्य सम्पादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी.
 - पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.
 - मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर मंडी समिति के दो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का परिचय एवं गारंटी का प्रमाण.
 - क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा - प्ररूप - 6 अनुसार.
 - सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप - 7 अनुसार.
 - व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप - 7(अ) अनुसार.
 - निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी.
 - मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति.
 - बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप - 7(स) अनुसार.
 - स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध
 - केवल भण्डारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
 - केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
- ii. गैर व्यक्तिगत अर्थात् पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिन्दू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि होने पर**
- आवेदनकर्ता संस्था के द्वारा आवेदक का प्राधिकार पत्र, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी.
 - आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप).
 - आवेदक का आधार क्रमांक. (जो भी लागू हो)
 - आवेदक का समग्र आईडी. (जो भी लागू हो)
 - आवेदक का आयकर PAN.
 - पासपोर्ट फोटोग्राफ्स
 - आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक. (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)
 - आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरैंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो)
 - आवेदनकर्ता संस्था के शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) अथवा संचालक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) में सम्मिलित सभी सदस्यों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी.
 - आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN.
 - आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).

- आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN).
 - आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य).
 - आवेदनकर्ता संस्था की उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन.
 - कृषि उपज भण्डारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध.
 - गोदाम का नक्शा.
 - मंडी कार्य सम्पादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी.
 - पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.
 - मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर मंडी समिति के दो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का परिचय एवं गारंटी का प्रमाण.
 - क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा – प्ररूप – 6 अनुसार.
 - सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप – 7 अनुसार.
 - व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप – 7(अ) अनुसार.
 - निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी.
 - मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति.
 - बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप – 7(स) अनुसार.
 - स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध
 - केवल भण्डारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
 - केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
- iii. **शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था आदि होने पर व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) प्रस्तुत करना होगा:-**
- शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्था होने पर कार्यालय प्रमुख अथवा अधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकार पत्र के साथ आवेदन कर सकेंगे.
 - आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक. (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)
 - आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरैंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो)

- आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN.
- आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).
- आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN).
- आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य).
- मंडी कार्य सम्पादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी.
- पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.

iv. किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति हेतु:-

किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु राज्य शासन/म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार. (जो भी लागू हो)

हम्माल एवं तुलैया/तुलावटी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) प्रस्तुत करना होगा:-

- आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप).
- आवेदक का आधार क्रमांक. (जो भी लागू हो)
- आवेदक का समग्र आईडी. (जो भी लागू हो)
- आवेदक का आयकर PAN.
- पासपोर्ट फोटोग्राफ्स.
- कक्षा पांचवी की अंकसूची (तुलैया/तुलावटी अनुज्ञप्ति हेतु)
- पुलिस सत्यापन के संबंध में शपथपत्र (हम्माल अनुज्ञप्ति हेतु)